भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3036

(दिनांक 19.03.2025 को उत्तर देने के लिए)

भ्रामक विज्ञापन

3036. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन और अन्य मीडिया पर उपभोक्ताओं को भ्रामक, अपूर्ण और गलत जानकारी देने वाले बड़ी संख्या में प्रसारित किए जा रहे विज्ञापनों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक इस संबंध में कोई ज्ञापन/शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसी प्रत्येक शिकायत का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ङ) : दूरदर्शन पर प्रसारित सभी विज्ञापन प्रसार भारती की विज्ञापन संहिता के अनुसार विनियमित किए जाते हैं और सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों का केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की विज्ञापन संहिता के अनुसार विनियमन किया जाता है।

प्रिंट मीडिया में भ्रामक विज्ञापनों का निपटान प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम, 1979 के अनुसार किया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम, 1979 के विनियम 13 के अंतर्गत, किसी भी समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित भ्रामक विज्ञापन के संबंध में पत्रकारिता के मानकों के गंभीर उल्लंघन के मामलों का स्वतः संज्ञान लेती है। मंत्रालय समय-समय पर प्रसारकों को विज्ञापन संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी भी जारी करता है तथा उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक 23 शिकायतों/स्वतः संज्ञान मामलों का निपटारा किया गया।

भ्रामक विज्ञापनों पर और अंकुश लगाने के लिए, मंत्रालय ने टीवी/रेडियो विज्ञापनों के लिए ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल और प्रिंट/इंटरनेट विज्ञापनों के लिए भारतीय प्रेस परिषद पोर्टल पर स्व-घोषणा प्रमाणपत्र (एसडीसी) अपलोड करने के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। इसके अलावा, मंत्रालय ने विज्ञापनदाताओं/विज्ञापन एजेंसियों को उपरोक्त पोर्टलों पर विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों अर्थात प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/इंटरनेट पर प्रकाशित 'खाद्य और स्वास्थ्य क्षेत्र' से संबंधित उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विज्ञापनों के लिए एक वार्षिक एसडीसी अपलोड करने की सलाह देते हुए एक एडवाइजरी जारी की है।

****